पत्रावली पर अंकित उपरोक्त के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने अपील होकर "नो-इन्स्ट्रक्शन लोड" किया है अतः जनहित में अधिवक्ता को नियमित रखा जाने से निगरानी है। पत्रावली आगामी पुरवाई हेतु दिनांक 13/10/22 को पेश हो

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

13/10/22 प्रकारान्तर अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलार्थी को कार्यालय से नोटिस जारी कर अपील संस्थापन बाबत सूचना प्राप्त की जावें। पत्रावली नोटिस जारी कर पत्रावली बाबते पुरवाई दिनांक 18-11-22 को पेश हो

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

18.11.22 पत्रावली पेश हुई अपीलार्थी को कार्यालय स्तर से दिनांक 13.10.22 को नोटिस जारी कर अपनी पुरातन अपील में पैरवी किये जाने हेतु / पैरवी करवाने जाने बाबत स्वयं उपस्थित होने या अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त करने की कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया। उक्त जारी नोटिस इस न्यायालय को पुनः प्राप्त हो गया जिस पर अपीलार्थी के अंकित पते पर "Sender Address Shifted" का विकल्प द्वारा लिखा जाकर भेजा गया। आज दिनांक को भी न्यायालय स्तर से प्रकारान्तर की उपस्थित होने बाबत आवाज लगाई परन्तु कोई अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में उक्त अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति में स्टाफ स्तर में खारिज की जाती है। पत्रावली कार्यालय स्तर पर रेकार्ड हो।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर